बिहार बजट मैनुअल

परिशिष्ट-2

(नियम 5)

बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम और बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली

राज्य में बिहार राज्यपाल के व्ययन

हेतु रखी जाने वाली आकस्मिक निधि की स्थापना और अनुरक्षण का उपबंध करना

समीचीन है ताकि वे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि अनुसार विनियोग के अधीन राज्य

के अप्रत्याशित व्ययों को प्राधिकृत करने तक ऐसी निधि से उन व्ययों को पूरा करने

के प्रयोजन से अग्रिम उपलब्ध कराने में सक्षम हो सके,

भारत संविधान के अनुच्छेद 267 के खंड (2) के द्वारा राज्य विधानमंडल को कानूनन ऐसी निधि स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई है ;

एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1-

इस अधिनियम को बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 कहा जा ldsxkA

2- इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य मे होगा।

3- यह 1 अप्रील, 1950 से प्रभावी होगा।

2- इस अधिनियम में ''निधि'' से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित बिहार आकस्मिकता निधि।

3 - इस अधिनियम का आरंभ होने पर

राज्य सरकार बिहार राज्य में और इसके लिए एक निधि स्थापित करेगी जिसे

बिहार आकस्मिकता निधि कही जाएगी।

4. राज्य की संचित निधि से प्रत्यहरण और बिहार आकस्मिकता निधि में उसको

जमा करना - इस अधिनियम का आरंभ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित

निधि से तीन सौ पचास करोड़ रूपए[5] का प्रत्याहरण करेगी और इस निधि में जमा

dj nsxhA

4 क. अस्थायी का ॅर्पस - बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के

आरंभ की तिथि से शुरू करके हर वर्ष के 30 मार्च तक अगर आकस्मिकता निधि

का स्थायी का ॅर्पस 350 (तीन सौ पचास)

5बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के जरिए संशोधन

बिहार बजट मैनुअल

करोड़ रू. से अधिक बढ़ाना अपेक्ष् ि ात हो, तो मंत्रिमंडल द्वारा उसे उस वर्ष के 30 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए अस्थायी रूप से उस वर्ष के व्यय बजट के अधिकतम 4 (चार) प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार बढ़ाई गई रकम का एक-तिहाई सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत और पुनर्वास उपयों के लिए प्रत्युक्त हो सकेगा।[6]

- राज्य विधान मंडल द्वारा विधि अनुसार किये गये विनियोगों के अन्तर्गत और ऐसी विधि के अमल में आने के तत्काल बाद से इस निधि को बिहार राज्यपाल के व्ययन हेतु रखा जाएगा जो इसे राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को प्राधिकृत करने तक उनको पूरा करने के लिए समय-समय पर अग्रिम देने से इतर प्रयोजनों पर खर्च नहीं करेंगे; और उक्त प्रयोजनों के लिए राज्यपाल द्वारा अग्रिम की गई राशि के बराबर राशि को निधि में जमा हुआ

माना जाएगा और इस प्रकार अंतरित राशि को निधि का अंग समझा जाएगा;

(परन्तु अगर किसी विŸ ीय वर्ष में आकस्मिकता निधि से दिए गए अग्रिम को राज्य विधान मंडल द्वारा वर्तमान विŸ ीय वर्ष में या अगले विŸ ीय वर्ष में प्राधिकृत कर दिया जाता है और ऐसे प्राधिकरण की राशि निधि के स्थायी का ॅर्पस से अधिक हो जाती है, तो स्थायी का ॅर्पस से अधिक होने वाली रकम को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाएगा न कि आकस्मिकता निधि में।)7

6. नियमावली बनाने की शक्ति - (I) अधिनियम के सारे या किसी प्रयोजन की

पूर्ति के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी।

(II) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हरेक नियम उसके

cuk, tkus ds i'pkr~ ;Fkk'kh/kz jkT; fo/kku eaMy ds gjsd lnu ds le{k] tc वे सत्र में हों कुल 14 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्रों को मिलाकर हो सकती है और यदि उपर्युक्त सत्र या उपर्युक्त सत्रों की ठीक बाद वाले सत्रावसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम नहीं बनाया जाय तो तत्पश्चात् नियम यथास्थिति उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नही होगा, किन्तु ऐसा कोई उपांतरण या निरसन इस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

6 वर्ष 2015 के अधिनियम 4 द्वारा समाविष्ट

7 वर्ष 1987 के अधिनियम 17 द्वारा समाविष्ट

बिहार बजट मैनुअल

(अधिसूचना संख्या 2803 - एफ, दिनांक 4 मार्च 1953 के साथ जारी) बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 (1950 का 19) की

धारा 6 द्वारा प्रदŸा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है:- 1- यह नियमावली बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली कही जा सकेगी। 2- बिहार आकस्मिकता निधि को बिहार के राज्यपाल की ओर से बिहार सरकार के विŸा विभाग के सचिव द्वारा रखा जाएगा।

3- निधि से अग्रिम हेतु सारे आवेदन बिहार सरकार के विŸा विभाग के सचिव को दिए जाएंगे (इसका प्रपत्र esa fn;k x;k gS)

vkosnu esa fuEufyf[kr phtsa nh tk,axh %

i. varxzZLr vfrfjDr O;; dh laf{kIr fof'kf"V;k¡]

ii. वे परिस्थितियां जिनके कारण उपबंध को बजट में शमिल नहीं किया जा ldk]

iii. इसका स्थगन क्यों संभव नहीं है ;

iv. यथा स्थिति वर्ष या वर्ष के अंश हतु, प्रस्ताव की पूरी लागत के लिए निधि से

लिए जाने वाले अग्रिम की अपेक्ष्िात रकम, और

v. वह अनुदान या विनियोग जिसके तहत अनुपूरक उपबंध को अंततः प्राप्त

करना होगा।

4. निधि से अग्रिम अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के मकसद से उपलब्ध कराए tk,axsA

5- अग्रिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति विŸा विभाग द्वारा बिहार के महालेखाकार को अग्रसारित की जाएगी जिसमें रकम, अनुदान या विनियोग जिससे वह संबंधित हो, और उप - शिर्षों तथा जिस व्यय की पूरा करने के लिए वह दिया जाएगा उसके विनियोग की इकाइयों के संक्ष्िाप्त विशिष्टियाँ वणर््िात होंगी।

6(1) इस प्रकार विŸापोषित सारे व्ययों के अनुपूरक अनुमानों को अग्रिम स्वीकृत होने के तत्काल बाद के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल के समक्ष

प्रस्तुत किया जाएगा जब तक कि वैसा अग्रिम उप-नियम (2) के उपबंध अनुसार आकस्मिक निधि में पुनः नहीं आ जाय।8

टिप्पणी 1 - राज्य विधानमंडल को बिहार आकस्मिकता निधि से विŸापोषित व्यय के अनुमान प्रस्तुत करते समय ऐसे अनुमान के साथ निम्नलिखित के संबंध में एक fVIi.kh layXu dh tk,xhA

’बिहार आकस्मिकता निधि से :i, esa vfxz
दिए गए हैं और निधि की अदायगी को सक्षम बनाने के लिए उसमें
समतुल्य ही jde tek djuk visf{kr gSA*

8 दिनांक 2-12-1996 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. बी0टी0 81167-7109 दिनांक 10-10-1967 द्वारा प्रतिस्थापित।

बिहार बजट मैनुअल

टिप्पणी 2 - अगर वार्षिक विŸाीय विवरण में नहीं शामिल किसी नई सेवा पर होने वाले व्यय को प्राधिकृत विनियोग के अंदर की बचतों से अंशतः या पूर्णतः पूरा किया जा सकता हो, तो पूरी रकम निधि से अग्रिम के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और प्रस्तुत किए गए अनुमान के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक टिप्पणी संलग्न dh tk,xh %

व्यय नई सेवा पर होना है जिसके लिए रू. आकस्मिकता
निधि से अग्रिम प्रदान किए गए हैं और निधि की अदायगी को सक्षम बनाने
के लिए mlesa lerqY; jde tek djuk visf{kr gSA*

:-@ ml jde dk ,d va'k :-

अनुदान के अंदर से बचत के पुनर्विनियोग के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं और

मात्र सांकेतिक मत अपेक्षिात है/ शेष रकम :- ek= ds

fy, vc er visf{kr gSA*

6(2) अनुपूरक विनियोग अधिनियम के माध्यम से राज्य विधानमंडल जैसे ही अतिरिक्त व्यय को अधिकृत कर दे, आकस्मिकता निधि द्वारा दिए गए अग्रिम या अग्रिमों को इस अधिनियम में किए गए विनियोग के संपूर्ण विस्तार के अनुरूप निधि esa okil dj fn;k tk,xk] pkgs os jkT;

fo/kkueaMy ds le{k vuqiwjd vuqeku प्रस्तुत करने के पहले व्यय को पूरा करने के लिए किए गए हों या प्रस्तुत करने के cknA

6-क.़ अगर किसी भी मामले में आकस्मिकता निधि से नियम 5 के अनुसार अग्रिम स्वीकृत करने का आदेश जारी करने के बाद और नियम 6 के अनुसार कार्रवाई करने के पहले पाया जाता है कि स्वीकृत, अग्रिम पूर्णतः या अंशतः अप्रयुक्त रहेगी, तो स्वीकृति अधिकारी के पास यथास्थिति स्वीकृति को रद्द करने या उसे रूपांतरित djus ds fy, vkosnu fn;k tk,xkA

6 - ख. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम में शामिल सेवा के उपबंध से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृत होने वाले सारे अग्रिमों को आकस्मिकता निधि से अधिक व्यय के पूरा करने के लिए दिए गए अग्रिम सहित सेवा पर पूरे वर्ष के व्यय के संबंध में विनियोग अधिनियम के पारित होने के बाद यथाशीघ्र निधि में वापस कर दिया जाएगा।

7- अग्रिम को पुनःप्राप्त करने के आदेश की एक प्रति, जिसमें मूल अग्रिम देने वाले आदेश की संख्या और तिथि और नियम 6 में निर्दिष्ट अनुपूरक विनियोग अधिनियम उद्धृत होगा, विŸा विभाग द्वारा बिहार के महालेखाकार को और एक प्रति संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।

8- निधि की लेनदेनों का लेखा विŸा विभाग द्वारा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र क में संधारित किया जाएगा।

[प्रपत्र मे प्रस्तुत है]

9- बिहार आकस्मिकता निधि से दिए गए अग्रिमों को विरूद्ध किए गए वास्तविक व्यय को बिहार आकस्मिकता निधि से संबंधित लेखे में उतने ही विस्तार से दर्ज किया जाएगा जितने विस्तार से संचित निधि से भुगतान किए जाने पर दर्शाया गया होता।